/2023

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या– /IX-1/2023–23/2014
देहरादूनः दिनांक मार्च, 2023

कार्यालय ज्ञाप

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति की अनुशंसा दिनांक 29 मार्च, 2022 के अनुपालन में मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 1988 की धारा 215 के अन्तर्गत कार्यालय–ज्ञाप संख्या 170/(23/IX–1/2014)/2022 दिनांक 11 मई, 2022 के द्वारा उत्तराखण्ड के सम्बन्धित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नलिखित को सदस्य नामित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(1) सम्बन्धित जनपद के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन/प्रवर्त्तन – सदस्य
(दोनों अधिकारी तैनात होने की दशा में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्त्तन)
(2) सम्बन्धित जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी – सदस्य
(3) अन्य विषय विशेषज्ञ/महानुभाव जिन्हें अध्यक्ष की अनुमति से आमंत्रित किया जाय – विशेष आमंत्री।

2. उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या– 170/(23/IX–1/2014)/2022 दिनांक 11 मई, 2022 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। उक्त कार्यालय ज्ञाप की समस्त शर्ते यथावत रहेंगी।

Signed by Arvind Singh
Hyanki
D(अरविन्द सिंह हयाँकी)9:36

सचिव।

संख्या– (1)/ix-1/2023-23/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के सचिव महोदय को उनके पत्र दिनांक 29.03.2022 के क्रम में सूचनार्थ।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन
8. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. आयुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
10. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से सम्बन्धित विभागों से सम्पर्क स्थापित कर प्रकरण पर अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रकरण की प्राथमिकता के दृष्टिगत अपने स्तर से तत्काल अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
12. महानिदेशक, शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सर्वसम्बन्धितों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
14. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. सम्बन्धित सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह हयाँकी)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्याः /(23/IX-1/2014)/2022
देहरादूनः दिनांक // मई, 2022

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या–549/IX-1/23(2014)/2017 दिनांक 24 जुलाई, 2017 को अवक्रमित करते हुये मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति की अनुशंसा दिनांक 29 मार्च, 2022 के अनुपालन में मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 215(3) के प्राविधानों का पालन करने हेतु केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 215 के अन्तर्गत जिला सड़क सुरक्षा समिति का निम्नवत् गठन किये जानें की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1.	सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी (पदेन)	–	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक (पदेन)	–	सदस्य
3.	मुख्य चिकित्साधिकारी (पदेन)	–	सदस्य
4.	अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग (Roads)	–	सदस्य
5.	क्षेत्रीय कार्यालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधि	–	सदस्य
6.	परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	–	सदस्य
7.	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर निकाय/चिन्हित प्राधिकरण	–	सदस्य
8.	राज्य के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा सुधार हेतु कार्यरत् कोई एक सिविल सोसाइटी संगठन (CSO) अथवा कोई एक अन्य गैर सरकारी संगठन (NGO)	–	सदस्य
9.	सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी	–	सदस्य
10.	राजमार्ग व्यवस्थापक, राज्य राजमार्ग एवं प्रमुख जिला सड़क (MDRs)	–	सदस्य सचिव

नोट 1. उक्त समिति में लोक निर्माण विभाग के सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता को प्रत्येक जिले में राज्य राजमार्ग एवं प्रमुख जिला सड़क हेतु जिला व्यवस्थापक के रूप में नियुक्त किया जाय।

नोट 2. राज्य सरकार यदि उचित समझे तो, उक्त समिति में अतिरिक्त किसी सदस्य को भी नियुक्त/चुना जा सकता है, किन्तु उक्त समिति में किसी सदस्य का प्रतिस्थापन (**substitutions**) नहीं किया जा सकता।

2. उक्त समिति के द्वारा अपने कार्यो एवं दायित्वों का निर्वहन/सम्पादन निम्नवत् किया जायेगा :–

(1) जनपदवार सड़क दुर्घटनाओं की समय–समय पर समीक्षा करना।

(2) राज्य सड़क सुरक्षा नीति के क्रियान्वयन का अनुश्रवण तथा उसके लक्ष्यों को निर्धारित करना।

(3) मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा सम्बन्धी प्रकरणों में समय–समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करना।

(4) राज्य सड़क सुरक्षा समिति के निर्णयों को जनपद में क्रियान्वित करना।

(5) राज्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर नजर रखना एवं उसके सम्बन्ध में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद को नियमित रूप से अवगत कराना, जिसमें निम्न तथ्य भी सम्मिलित होंगे :–

(a) वाहनों का पूर्ण विवरण।

(b) दुर्घटना का कारण।

(c) स्थलीय जाँच का विवरण एवं साक्ष्य (यदि कोई हो)।

(d) अपराधी का विवरण (यदि कोई हो)।

(e) दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति एवं उसकी अद्यतन स्थिति।

(f) दुर्घटना के कारण हुई क्षति का विवरण।

(g) पंजीकृत एफ.आइ.आर. (यदि कोई हो)।

(6) सड़क दुर्घटनाओं का विवरण मासिक रूप से जनपदीय वेबसाइट पोर्टल एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पोर्टल **http:/morth-roadsafety.nic.in/ edisha/index.aspx** पर विस्तृत रूप से प्रकाशित करना।

(7) जिला सड़क सुरक्षा योजना को विकसित करना।

(8) मोटरवाहन अधिनियम की धारा 135ए के तहत जनपद के अन्तर्गत समस्त सामूहिक मृत्यु सम्बन्धी दुर्घटनाओं की फॉरेंसिक जाँच सुनिश्चित करना।

(9) एम्बुलेन्स की अधिकतम व्यवस्था सुनिश्चित करना जिससे कि दुर्घटना की स्थिति में कम समय में अस्पताल पहुंचा जा सके।

(10) दुर्घटनाओं के पूर्व अनुभवों के आधार पर जनपद में विभिन्न प्रकार के एम्बुलेन्सों की पर्याप्त व्यवस्था करना।

(11) जनपद के अन्तर्गत सामूहिक मृत्यु की दुर्घटनाओं हेतु आकस्मिक चिकित्सा योजना तैयार करना।

(12) अस्पताल एवं एम्बुलेन्स को जोड़े जाने हेतु पूर्व सूचना प्रणाली विकसित करना तथा आकस्मिकता की स्थिति में अस्पतालों में बैड की उपलब्धता के लिये अस्पताल एवं एम्बुलेन्स के बीच समन्वय स्थापित करना।

(13) सड़क सुरक्षा कोष के विकास, आवश्यकता एवं वितरण हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना तथा आवश्यकतानुसार राज्य सड़क सुरक्षा परिषद से सम्पर्क करना।

(14) राज्य सड़क सुरक्षा परिषद/राज्य लीड एजेन्सी को निरन्तर सूचनायें प्रेषित करना तथा सड़क सुरक्षा उपायों, विशेषकर मुख्य दुर्घटना प्रवण क्षेत्र/दुर्घटना बहुल क्षेत्र आदि को चिन्हित करने तथा इस सम्बन्ध में 4Es अर्थात (Engineering, Education, Enforcement & Emergency) हेतु संस्तुति करना।

(15) सड़क दुर्घटनाग्रस्त से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने वालों को प्रोत्साहित करना।

(16) आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार को नियमानुसार परिवर्तन/संशोधन आदि हेतु सुझाव देना :-

(a) मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 107, 138, 176, 210डी एवं 215डी के तहत नियम बनाया जाना।

(b) मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 135 के तहत योजना बनाना।

3. कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
सचिव।

संख्याः 170/(23/IX-1/2014)/2022 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के सचिव महोदय को उनके पत्र दिनांक 29.03.2022 के कम में सूचनार्थ।
2. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. आयुक्त, गढवाल/कुमांऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
10. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से सम्बन्धित विभागों से सम्पर्क स्थापित कर प्रकरण पर अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रकरण की प्राथमिकता के दृष्टिगत अपने स्तर से तत्काल अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
12. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सर्वसम्बन्धितों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
13. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. सम्बन्धित सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार जोशी)
अपर सचिव।